प्रेस नोट **दिनांक 18.05.2026**

"वांछित व पुरस्कार घोषित अपराधियों पर शिकंजा ₹ 25,000 का वांछित गैंगेस्टर अभियुक्त गिरफ्तार"

जनपद मऊ पुलिस द्वारा थाना कोतवाली नगर, स्वाट/एसओजी व सर्विलांस टीम के संयुक्त प्रयास से 08 माह से हत्या में वांछित अभियुक्त इनमिया 25000/- को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन मे अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के मार्गदर्शन में विशेष टीमों का गठन कर लगातार सुरागरसी पतारसी, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया,

दिनांक 17.05.2026 को वांछित / पुरस्कार घोषित अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर मु.अ.सं. 406/2025 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विशाल सोनकर पुत्र स्व0 प्रकाश सोनकर निवासी रामचक बरिया रूद्रपुर थाना रूद्रपुर जनपद जनपद देवरिया,वर्तमान पता स्व0 सुरज सोनकर का मकान,महरनिया दक्षिण टोला थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब उम्र करीब 25 वर्ष को काटन मिल के पास से समय 20.15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के करीब 08 माह से फरार होने के दृष्टिगत, श्रीमान पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा **अभियुक्त की गिरफ्तारी पर ₹ 25,000/- का पुरस्कार घोषित** किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त विशाल सोनकर उपरोक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 10.06.2025 को गुलशन यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव निवासी रामपुर चकिया थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ जो अपने गांव से अपने दोस्त रणधीर यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी सरायलखंसी प्रेमनगर चकिया थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ के साथ बाईक से रोडवेज की तरफ आ रहा था जिस दौरान मऊ रेलवे स्टेशन से रोडवेज जाने वाले मार्ग पर शाम 07.30 बजे के आस पास चाकू , राड और ईंट से मारकर उसकी हत्या कर दी गयी थी , जिसके सम्बन्ध में प्राप्त सूचना पर सर्वप्रथम मु.अ.सं. 184/25 अन्तर्गत धारा 3(5) , 115(2), 351(2) , 190 , 191(2) , 191(3) , 103(1) बीएनएस में 08 नामजद व 03 से 04 के करीब अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था , जिस मुकदमें के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मु.अ.सं. 406/25 धारा 2/3(1) उ.प्र.गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग दिनांक पंजीकृत हुआ था जिसमें अभियुक्त वांछित चल रहा था।

- **गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान** –

दिनांक – 17.05.2026
समय – 20.15 बजे
स्थान – काटन मिल के पास थाना कोतवाली नगर क्षेत्र जनपद मऊ।

- **पंजीकृत अभियोगों का विवरण** –
  मु.अ.सं. 184/25 धारा 3(5) , 115(2), 351(2) , 190 , 191(2) , 191(3) , 103(1) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
  मु.अ.सं. 406/25 धारा 2/3(1) उ.प्र.गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
- **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता विवरण** –
  विशाल सोनकर पुत्र स्व0 प्रकाश सोनकर निवासी रामचक बरिया रूद्रपुर थाना रूद्रपुर जनपद जनपद देवरिया,वर्तमान पता स्व0 सुरज सोनकर का मकान,महरनिया दक्षिण टोला थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

जनपद मऊ पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड के विभिन्न मामलों में कुल 02 पीड़ितों को 86000 रुपये की धनराशि वापस कराई गई–

जनपद मऊ पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानों (मुहम्मदाबाद व कोपागंज) की साइबर पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए 02 पीड़ितों की धनराशि वापस कराई गई।

विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त साइबर फ्रॉड़ की शिकायतों के आधार पर साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं साइबर पोर्टल पर तत्काल कार्रवाई की गई

उक्त कार्यवाही के अंतर्गत जनपद के विभिन्न थानों से कुल 02 पीड़ितों की कुल धनराशि 86000 /- रुपये वापस कराई गई। जिसमें क्रमशःथाना मुहम्मदाबाद से एक पीडित को 710000 /- रुपये व थाना कोपागंज से एक पीडित को 15000/- रुपये उनके खाते में वापस कराया गया।
पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 18.05.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 36 टीम गठित कर जनपद के 40 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1400 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 584 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 06 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

प्रेस नोट जनपद मऊ

दिनांक : 18/05/2026

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वांछित/वारंटी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। जिसका विवरण निम्नवत है।

थानावार गिरफ्तारी का विवरण:

1. थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्त क्रमशः (1) रामनिवास पुत्र बदलू, 2. चन्द्रिका पुत्र रामेश्वर, 3. श्याम बहादुर पुत्र परिखन निवासी नसीराबाद खुर्द जनपद मऊ को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

जनपद पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अभियान लगातार जारी है।